Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में नाबालिग लडकी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी निर्दोष को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1.10 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त निर्दोष पुत्र रतिराम निवासी ग्राम गढीकलन्जरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0- 216/2016 धारा 376/504/506 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-5 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त निर्दोष को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1.10 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त निर्दोष को धारा 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया है। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था।

श्री नरेंद्र सिंह पंवार
एडीजीसी जनपद बागपत

आरक्षी योगेश कोर्ट
पैरोकार थाना चांदीनगर

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 23.01.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 58/2024 धारा 147/148/149/152/336/307 भादवि, 7 सी0एल0 एक्ट व 8बी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.01.2024 को थाना कोतवाली बागपत को सुचना मिली कि अभियुक्तगण 1.आयुष पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम लधवाड़ी थाना कोतवाली बागपत, 2.हिमांशु पुत्र श्यौराज निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत, 3.अमित निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत, 4.उस्मान निवासी इन्द्राकालौनी निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत, 5.उज्जवल निवासी खुब्बीपुर निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत व 10-15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी-डंडे व हथियार से लैस होकर दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर आपस में झगडा कर रहे है, जिससे जनता में भय व डर का महौल व्याप्त हो गया है। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा सुचना पर पहुंची पुलिस फोर्स के ऊपर एक राय होकर हमला किया गया तथा जान से मारने की नियत से फायर किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 147/148/149/152/336/307 भादवि, 7 सी0एल0 एक्ट व 8बी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 58/2024 धारा 147/148/149/152/336/307 भादवि, 7 सी0एल0 एक्ट व 8बी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-हिमांशु पुत्र श्यौराज सिंह निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-आयुष नैन उर्फ साहिल पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 556 इल्यास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 1038 अरविन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 23.01.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जसबिन्दर पुत्र सुशील निवासी ग्राम सरुरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 269/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत

2-मु0अ0सं0 059/24 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- एक अवैध चाकू ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 173 रिंकू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।